न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम)महिला उत्पीड़न भदोही

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–574 सन् 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10018082026

लकडू यादव उर्फ आशीष उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र उमाशंकर यादव, निवासी ऊँज मुंगरहा, थाना– ऊँज,जिला–भदोही। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–93 सन् 2025
धारा–115(2),352,351(3),76
भारतीय न्याय संहिता।
थाना– ऊँज,जनपद–भदोही।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त लकडू यादव उर्फ आशीष की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–93 सन् 2025,धारा–115(2),352,351(3),76 भारतीय न्याय संहिता,थाना– ऊँज,जनपद–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा केस डायरी एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा राजकुमार यादव ने दिनांक 18.07.2025 को समय 19.24 बजे थाना–थाना– ऊँज,जनपद–भदोही पर लिखित तहरीर देकर कथन किया कि वह ग्राम ऊँज मुंगरहा,थाना–ऊँज,जनपद–भदोही का मूल निवासी है। मेरी माँ भगवन्ती देवी और बहन रीता यादव गांव में ही अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थी और मेरे खेत का वर्षा का पानी बहकर लकडू यादव उर्फ आशीष यादव पुत्र उमाशंकर यादव के खेत में जा रहा था। दिनांक 15.07.2025 को शाम 5.40 बजे उपरोक्त लकडू यादव उर्फ आशीष यादव आकर प्रार्थी की माँ को भद्दी–भद्दी माँ बहन की गाली देते हुए कहा कि मेरे खेत में पानी क्यों जा रहा है तो प्रार्थी की माँ ने कहा कि बरसात का पानी बहकर जा रहा है और इसमें मेरी क्या गलती है, इतने में वह आवेश में आकर माँ को गम्भीर रुप से लात मूका से मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया और साथ में उपरोक्त प्रार्थी की बहन रीता यादव के सिर पर फावड़े से जानलेवा हमला करके गम्भीर रुप से घायल कर दिया और मौके पर ही प्रार्थी की बहन लहूलुहान होकर गिर पड़ी। प्रार्थी पहुंचकर बीच बचाव किया और एम्बुलेंस 108 के द्वारा गम्भीर रुप से घायल अपनी माँ और बहन को तत्काल इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीघ ले गया और इलाज कराया। आज सुबह प्रार्थी चोटहिलों के इलाज में व्यस्त था। उपरोक्त अभियुक्त जान माल की धमकी दिया है। उक्त घटना की सूचना दे रहा है। अतः प्राथमिकी दर्ज कर विपक्षी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया।

4. वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार आवेदक/ अभियुक्त को नामित करते हुए मुकदमा अपराध संख्या–93 सन् 2025,धारा–115(2),352, 351(3),76 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा–115(2),352,351 (3), 76भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आधार अग्रिम जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि अभियुक्त निर्दोष है,उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरुद्ध झूंठे तथ्यों के आधार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है। कथित घटना दिनांक 15.07.2025 को समय 17.40बजे की कही जाती है, जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025को समय 19.33 बजे अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पुलिस वादी की साजिश में होकर उसके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण आशय के साथ आरोप पत्र दिनांक 24.08.2025 को न्यायालय में प्रेषित किया गया है। कथित घटना से अभियुक्त का कोई सम्बन्ध नहीं है। संपूर्ण अभियोजन कथानक फर्जी एवं बेबुनियाद है। अभियुक्त इसी जिले का मूल निवासी है। जमानत होने पर वह अग्रिम जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा और बराबर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध बी०डब्लू० की जानकारी होने पर गिरफ्तारी की आशंका है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की माँ एवं उसकी बहन जब गांव में ही अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थी कि बरसात के पानी के विवाद को लेकर गाली गलौज देते हुए आवेश में आकर वादी मुकदमा की माँ को लात मूका से मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया एवं उसकी बहन के सिर पर फावड़े से हमला करके गम्भीर रुप से घायल करके गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की माँ एवं उसकी बहन जब गांव में ही अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थी कि बरसात के पानी के विवाद को लेकर गाली गलौज देते हुए आवेश में आकर जान से मारने की धमकी देते हुए वादी मुकदमा की माँ को लात मूका से मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया एवं उसकी बहन के सिर पर फावड़े से हमला करके गम्भीर रुप से घायल करने का आरोप है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया है कि वह अपनी लड़की व बहू के साथ खेत में धान लगा रही थी बारिस का पानी मेरे खेत से लकडू के खेत में बहकर जा रहा था जिस पर वह गाली गलौज देने लगा गाली गलौज देने से मना किया तो बोला कि फरसा से बाल देंगे तो वह बोली कि क्यों मारेंगे बारिश का पानी है बहेगा ही तो हमको गिराकर मारने लगा उसकी धोती खुल गयी वह साया ब्लाउज

पहने रही वो मुझे पटक–पटक कर मार रहा था मेरी लड़की छुड़ाने गयी तो लकडू फरसा से मार दिया मेरी लड़की को चोट लग गयी तो वह भाग गया। पीड़िता ने अपने अन्तर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया है कि घटना को एक महीना हो गया मंगलवार का दिन था, 5.00 बजे शाम की घटना है। वह मंगलवार के दिन बेटी व बहू के साथ अपने खेत में धान लगा रही थी तभी बगल के खेत में लकडू था वो तीनों को गंदी–गंदी गाली देने लगा हमारे खेत से उसके खेत में पानी क्यों जा रहा है, उसने उसे गाली देने से मना किया तो लकडू ने कहा कि फरसा से काट डालूँगा और उसे जमीन पर गिराकर पटककर बहुत मारा। उसकी बेटी उसे छुड़ाने आयी तो लकडू ने फरसा से बेटी के सिर पर मार दिया, जिससे उसका कपड़ा खून से भीग गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में केस डायरी के साथ दोनों चोटहिलों की आघात आख्या संलग्न की गयी है,जिसके अनुसार मजरुबा भगवन्ती देवी की आघात में कोई जाहिरा चोट की अंकना नहीं है तथा मजरुबा रीता यादव की चोट संख्या–1 साधारण प्रकृति की तथा चोट नं०2 जाहिरा चोट न होने तथा चोटें ठोस व भोथरे वस्तु से आने की अंकना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि में विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को बिना गिरफ्तार किए उसके विरुद्ध धारा–115(2),352, 351(3),76 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों में गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

9. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त लकडू यादव उर्फ आशीष की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करते हुए सम्बन्धित न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त को मु0–50,000/–(पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू लेकर उसे इस शर्त के साथ दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेगा कि–

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त गवाहों को न तो डरायेगा, धमकायेगा और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन, धारा–351भारतीय नागरिरक सुरक्षा संहिता के बयान तथा निर्णय हेतु नियत दिनांक को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होगा।

दिनांक–11.06.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(प्रथम),महिला उत्पीड़न,भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.06.25 13:46:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court